



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2952]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935

No. 2952]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2013

का.आ.3935(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें प्रशासक अथवा उपराज्यपाल के रूप में जाना जाता हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन तथा अगले आदेशों तक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अंतर्गत अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर राज्य सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे और उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/14/2012-यू टी एल]

आई. एस. चहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2013

S.O. 3935(E).—In exercise of the powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of Union Territories (whether known as Administrator of Lieutenant Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) within their respective Union Territories.

[F.No. U-11030/14/2012-UTL]

I. S. CHAHAL, Jt. Secy.